

फर्द अहकाम

A.P.M. 111

यालय

सुरज अल बनाम जोम अकश

दमा संख्या / वर्ष

13 / 2021

/ 20

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
---------------------------	----------------------	-------------

8-8-25

पश्चात्तपि पेश हुई। अखिरवक्ता अमीलान्त
 अनुपायित है। कारण वक्ता अमीलान्त जिला
 जज के अमीलान्त अमानतन वकालत
 अनुपायित। पूर्व में भी अनुपायित रहे हैं।
 अमीलान्त के अनुपायित रहने तथा जोरिए
 तस्वी पेश नही करने की स्थिति में सिविल
 प्रक्रिया मंदिरा आदेश 3 नियम 3 व 5
 के अन्तर्गत अमीलान्त की अमीलान्त जज
 की जाती है। पश्चात्तपि वक्ता अमीलान्त नकर
 से काम की जाकर दाखिल दखल है।

अतिरिक्त क्लर्क एतं
 अति. जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर